कार्यालय, जिला पंचायत–जशपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक/985 /प्र.म.आ.यो.ग्रा./विज्ञा./जि.पं./2017 जशपुर, दिनांक 02/06/17

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/3282/आर 1760/22-1/2016, नया रायपुर, दिनांक 22/10/2016 के द्वारा जारी आदेश के परिपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत रिक्त संविदा **प्रशिक्षण समन्वयक** पद के लिए वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन **दिनांक 17/06/2017** अपरान्ह 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक आवेदन पत्र में दर्शित किये गये शैक्षणिक योग्यता, आदि प्रमाण पत्रों तथा नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटो के साथ **मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत–जशपुर के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा।** निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पद का विवरण :–

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	संविदा वेतन	योग्यता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	2	3	4	5	6	
1	प्रशिक्षण समन्वयक	अनारक्षित 01 पद	29400/– (एक मुश्त प्रति माह)	1. एम.बी.ए./समाज सेवा कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (M.A. Social Work)/ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि (PGDRD)। 2. कोशल विकास में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव।	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए।	50
					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए।	40
					शासकीय योजनाओं में कोशल विकास पर अतिरिक्त कार्य अनुभव प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक अधिकतम अंक 10	

नियम एवं शर्तें :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर के नाम से दिनांक 17/06/2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 5:30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2017 के आधार पर की जावेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

4. आवेदक द्वारा जीवित रोजगार पंजीयन का स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
6. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
8. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शामिल होंगे।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
15. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
16. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
17. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
18. उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
19. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत–जशपुर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
20. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत–जशपुर के सूचना पटल में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखा जा सकता है। तथा जिला–जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

E:\PMAY-G\PMAY\memo-Pmay 02.doc

क्रमांक / 985 / A / प्र.म.आ.यो.ग्रा. / विज्ञा. / जि.पं. / 2017 जशपुर, दिनांक 02/06/19

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला जशपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रीमण) विकास आयुकत कार्यालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. जिला सुचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला जशपुर को जिला जशपुर की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.................................जिला जशपुर को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

E:\PMAY-G\PMAY\memo-Pmay 02.doc